आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–67 / 2023

11.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित।

आयोग ने दिनांक–28.02.2024 की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश दिया था कि यदि शिकायतकर्त्ता का राशन कार्ड तत्काल बनाना संभव नहीं है तो उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन उपलब्ध करा दे। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि जिले में कई मुखिया के पास आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि उपलब्ध नहीं है और इस संदर्भ में विभाग से पैसा मांगा गया है। ये अत्यन्त ही गम्भीर विषय है और ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मूल भावनाओं के विपरीत है, क्योंकि यदि किसी कार्डधारी या बिना कार्डधारी को खाद्यान्न का संकट होता है और आकस्मिक खाद्यान्न कोष भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसे में किसी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति के निर्माण होने पर जिम्मेवारी कौन लेगा। आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि वो इस संदर्भ में विभाग से पत्राचार कर ये सुनिश्चित कराने का आग्रह करे कि सभी जिले के सभी मुखिया के पास आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि उपलब्ध हो और इस वाद में विशेष प्रयास करते हुए तत्काल राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया जाय। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वो शिकायतकर्त्ता के आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए और यदि कोई विषम परिस्थिति के निर्माण होने की आशंका हो तो वे जिले के उपायुक्त से सम्पर्क कर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कोशिश करे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी कृत कार्रवाई से आयोग को अगली सुनवाई में अवगत कराये।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.03.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267